Hindi

स्पष्टीकरण

दुर्घटनाओं, रोगों और खतरनाक घटनाओं की रिपोर्ट के लिए विनियम

रिड्डोर क्या है?

इसका आशय है रिपोर्टिंग ऑफ इन्जरीज़, डिजीजिज़ एन्ड डेन्जरेस अक्रेन्सेज़ रेग्यूलेशन्स 1995 (Reporting of Injuries, Diseases and Dangerous Occurrences Regulations 1995). कई बार इसका ल्लेख रिड्डोर 95 या संक्षेप में रिड्डोर के नाम से किया जाता है. ये विनियम 1 अप्रैल 1996 से लागू किए गए.

रिड्डोर की जानकारी मुझे क्यों होनी चाहिए?

यदि आप नियोक्ता हैं, स्वरोजगार व्यक्ति हैं या कार्यस्थल के भवनों का नियंत्रण करते हैं, तो रिड्डोर के तहत आपके कर्त्तव्य हैं.

रिड्डोर आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप कार्य से सम्बन्धित दुर्घटनाओं, रोगों और खतरनाक घटनाओं की रिपोर्ट करें. यह कार्यस्थल के सभी क्रियाकलापों पर लागू होता है.

मुझे क्या करना जरूरी है?

बहुत अधिक नहीं! अधिकांश व्यवसायों में ऐसी दुर्घटनाओं, खतरनाक घटनाओं या बीमारी के ऐसे मामले तुलनात्मक रूप से कम ही होते हैं, जिनकी रिपोर्ट करना जरूरी है. कृपया इस लीफलेट को पढ़ने के लिए पाँच मिनट दीजिए, फिर इसे अपनी पहुंच में रखिए, यदि कभी रिपोर्ट करने की जरूरत पड़े तो आपको मालूम रहेगा कि आपको क्या करना है.

मैं रिपोर्ट क्यों करूँ?

कार्यस्थल पर दुर्घटनाओं और खराब स्वास्थ्य की जानकारी देना कानूनी अपेक्षा है. इस जानकारी की सहायता से हैल्थ एन्ड सेफ्टी एक्जीक्यूटिव (Health and Safety Executive (HSE) और स्थानीय प्राधिकारी (*दि इन्फोर्सिंग अथारिटीज के रूप में उल्लिखित*) यह निर्धारित कर सकेंगे कि जोखिम कहाँ और कैसे पैदा होता है और वे इससे गंभीर दुर्घटनाओं की जाँच कर पाते हैं. इसके बाद, हम आपको यह सहायता और सलाह देने की स्थिति में होते हैं कि आघात, खराब स्वास्थ्य और दुर्घटनाजन्य हानियों को कैसे कम किया जाए.

मुझे रिपोर्ट करने की जरूरत कब है?

मृत्यु या बड़ी दुर्घटना

यदि कार्यस्थल से जुड़ी कोई दुर्घटना हुई हो और :

- आपका कर्मचारी, या आपके भवन में कार्यरत कोई स्वरोजगारी व्यक्ति जान गंवा देता है या काफी घायल हो जाता है (शारीरिक हिंसा के परिणामस्वरूप हुई ऐसी स्थितियाँ भी शामिल हैं); या

- जनता का कोई व्यक्ति जान गंवाता है या उसे अस्पताल ले जाना पड़े; तो

☏ आप बिना देर किए कानून लागू करने वाले प्राधिकारी को (जैसे फोन से) सूचित करें. वे आपके व्यवसाय की संक्षिप्त जानकारी, घायल व्यक्ति और दुर्घटना के बारे में पूछेंगे; और

- दस दिन के भीतर ही आप दुर्घटना रिपोर्ट फार्म (F2508)पूरा भरकर अनुसरण करें. लेकिन अप्रैल 2001 से रिपोर्ट करने की नई विधियों के लिए पृष्ठ 3 पर देखिए 'मैं किसको रिपोर्ट करूँ?' इस लीफलेट के साथ भी एक फार्म दिया गया है, आप इसकी प्रतिलिपि बना सकते हैं.

बड़े आघातों की परिभाषाओं के लिए देखिए पृष्ठ 3.

तीन दिन से अधिक वाली चोटें

- यदि कार्य (शारीरिक हिंसा की वारदात सहित) से जुड़ी कोई दुर्घटना होती है और अपके कर्मचारी , या आपके भवन में कार्यरत कोई स्वरोजगार व्यक्ति को ऐसा आघात लगता है जिसकी पीडा तीन दिन से अधिक रहेगी, तो आप दस दिन के भीतर ही, पूरा भरा हुआ दुर्घटना रिपोर्ट फार्म (F2508) कानून लागू करने वाले प्राधिकारी के पास अवश्य भिजवायें. लेकिन अप्रैल 2001 से रिपोर्ट करने की नई विधियों के लिए पृष्ठ 3 पर देखिए - 'मैं किसको रिपोर्ट करूँ?' इस लीफलेट के साथ भी एक फार्म दिया गया है, आप इसकी प्रति बना सकते हैं.

  तीन दिन से अधिक तक चलने वाले आघात वे हैं जो बडे तो नहीं होते, लेकिन उनके परिणामस्वरुप घायल व्यक्ति तीन दिन से ज्यादा समय तक अपने काम या अपने सामान्य कार्यो की पूरी श्रृंखला को पूरा करने लायक नहीं रहता (इनमें वे दिन भी शामिल है जिनके दौरान उनसे सामान्यतया कार्य अपेक्षित नहीं है जैसे सप्ताहांत, विश्राम दिवस या अवकाश) लेकिन इसमें घायल होने का दिन शामिल नहीं है .

रोग

- यदि आपका डाक्टर यह सूचना देता है कि आपका कर्मचारी कार्य-सम्बद्ध ऐसे रोग से पीडित है जिसकी रिपोर्ट करनी होगी, तो आप बीमारी रिपोर्ट फार्म (F2508A) पूरा भरकर कानून लागू करने वाले प्राधिकारी के पास भिजवाइए. लेकिन अप्रैल 2001 से रिपोर्ट करने की नई विधियों के लिए पृष्ठ 3 पर देखिए 'मैं किसको रिपोर्ट करूँ?' इस लीफलेट के साथ भी एक फार्म दिया गया है, आप इसकी प्रति बना सकते हैं. रिपोर्ट फार्म के पैड पर और विनियमों की गाइड में पूरी सूची दी गई है, या आप HSE इन्फोलाइन पर फोन करके यह जानकारी प्राप्त कर लीजिए कि कोई बीमारी रिपोर्ट करने लायक है या नहीं.

<u>खतरनाक घटना</u>

- ऐसी घटना जिसके परिणामस्वरुप ऐसे आघात नहीं हुए जिनकी रिपोर्ट करनी होती है, लेकिन ऐसी स्थिति आ सकती थी, तो ऐसी घटना को खतरनाक माना जाए, जिसकी जानकारी तत्काल ही (जैस फोन पर) कानून लागू करने वाले प्राधिकारी को अवश्य दी जाए. रिपोर्ट करने योग्य खतरनाक घटनाओं का सारांश पृष्ठ 5 पर मिलेगा. रिपोर्ट फार्म के पैड और विनियमों की गाइड में पूरी सूची दी गई है,या जानकारी के लिए आप बस एचएससी इन्फोलाइन पर फोन कर दीजिए.

- दुर्घटना रिपोर्ट फार्म (F2508) को पूरा भरकर दस दिन के भीतर आप इसका अनुसरण अवश्य करें. (लेकिन अप्रैल 2001 से रिपोर्ट करने की नई विधियों के लिए पृष्ठ 3 पर देखिए 'मैं किसको रिपोर्ट करूँ?' इस लीफलेट के साथ भी एक फार्म दिया गया है, आप इसकी प्रति बना सकते हैं.

मैं स्वरोजगारी हूं. यह मुझपर कैसे लागू होता है?

यदि आप किसी और के भवन में कार्य कर रहे हैं और आप बडे आघात से पीडित होते हैं या आपको कोई ऐसा आघात लग जाता है जिसके कारण आप तीन से अधिक दिन तक अपने सामान्य कार्यो की पूर्ण शृंखला नहीं कर पाते हैं,तो जिसका भवन है वह व्यक्ति आपके लगे आघात की रिपोर्ट करने का जिम्मेदार होगा. इसलिए यदि सम्भव हो,तो आप यह निशचित कर लें कि वे इस बारे में जानते हैं.

यदि आप अपने ही भवन में कार्य करते हैं, और :

- आप या जनता का कोई व्यक्ति घायल होता है;या
- कोई खतरनाक घटना हो जाती है; या
- डाक्टर आपको बताता है कि आपको कार्य से सम्बद्व कोई बीमारी या हालात है;

तो आपको इसकी रिपोर्ट करनी होगी. लेकिन,यदि अपने भवन में ही आपको बडा आघात लगता है,तो स्वरोजगार व्यक्ति के रुप में आपको तत्काल रिपोर्ट करने की जरुरत नहीं हैं. पर, दस दिन के भीतर या तो आप या आपकी ओर से कार्यरत कोई व्यक्ति, रिपोर्ट फार्म (F2508) में जानकारी अवश्य भिजवाए. लेकिन, अप्रैल 2001 से रिपोर्ट करने के नए तरीकों के बारे में आगामी खण्ड देखिए.

<u>मैं किसको रिपोर्ट करुँ?</u>

अप्रैल 2001 से आप इंसीडेन्ट कॉन्टेक्ट सेन्टर को कई माध्यमों से रिपोर्ट कर सकते हैं :

☏ फोन से 0845 300 9923 (8.30 प्रात से 5.00 सांय तक)

☏ फैक्स से 0845 300 9924 (किसी भी समय)

☏ इन्टरनेट www.riddor.gov.uk (किसी भी समय)

☏ ई- मेल से riddor@natbrit.com

☏ डाक से Incident Contact Centre, Caerphilly Business Park,
Caerphilly CF83 3GG

यदि आपका व्यवसाय निम्नलिखित प्रकार का है, तो विकल्प स्वरुप आप अपने स्थानीय प्रधिकरण के एन्वायरवेन्टल हैल्थ डिपोर्टमेन्ट से सम्पर्क कर सकते हैं :

☏ कार्यालय आधारित;

☏ खुदरा या थोक;

☏ माल- गोदाम;

☏ होटल और खान-पान;

☏ खेल या आराम;

☏ आवासीय व्यवस्था, नर्सिंग होम के अलावा;

☏ पूजा के स्थलों से सम्बद्व;

☏ स्कूल पूर्व बालबाडी;

☏ सचल दुकानदारी.

पते और टेलीफोन नम्बर, अथारिटीज के नाम के तहत, टेलीफोन पुस्तिका में मिल जाएँगे.

अन्य सभी प्रकार के व्यवसाय एचएसई के एरिया आफिस में मिल जाएँगे. पते और टेलीफोन नम्बर जानने के लिए एचएसई के तहत टेलिफोन पुस्तिका में देखिए. यदि ब्यौरे प्राप्त करने में आपको कोई कठिनाई हो, तो एचएसई इन्फोलाइन पर फोन कीजिए. फोन नम्बर इस लीफलेट के अन्त में दिया गया है.

रेलवे और खदानों की रिपोर्टिंग विद्यमान व्यवस्था के अनुसार जारी रहेगी.

<u>मुझे कौन से रिकार्ड रखने होंगे?</u>

किसी भी रिपोर्ट योग्य आघात, बीमारी या खतरनाक घटना का रिकार्ड आप घटना की तारीख से लेकर तीन वर्ष तक अवश्य रखिए. इसमें निम्नलिखित अवश्य शामिल करें :

- रिपोर्टिंग की तारीख और तारीका;
- घटना की तारीख, समय और स्थान;
- इसमें शामिल कार्मिकों के ब्यौरे, और
- घटना या बीमारी की प्रकृति का संक्षिप्त विवरण.

रिकार्ड रखने के बारे में दिशानिर्देश

उदाहरण के लिए, आप अपने रिकार्ड रखने के लिए,निम्न तरीके अपना सकते हैं :

- रिपोर्ट के फार्मो की प्रतिलिपियाँ एक फाइल में रखिए.

- सारे विवरण कम्प्यूटर पर दर्ज कर दीजिए.
- लिखित नामचे में दर्ज कर दीजिए.

आप जैसे चाहें उस प्रकार से रिकार्ड रख सकतें हैं.

यदि आप फोन या इन्टरनेट पर रिपोर्ट करते है तो आधिकारिक रिपोर्ट फार्म (F2508/F2508A) की प्रतिलिपि आपके पास नहीं होगी. आपकी सहायता के लिए रिपोर्ट की एक प्रति आपको भिजवाई जाएगी. साथ ही आपको एक मौका भी दिया जाएगा कि इसमें यदि कोई गलती है, तो उसे ठीक कर दीजिए.

बस! इतना ही?

हाँ - अधिकांश लोगों के लिए इस विनियम के तहत बताए गए कर्तव्य, इस लीफलेट में हैं.

यदि आपके पास कोई प्रश्न है, उदाहरण के लिए रिपोर्टयोग्य खतरनाक घटनाओं या बीमारियों के बारे में, तो बस एचएसई इनफोलाइन पर फोन कीजिए. यदि आप अपने पास और भी जानकारी रखना चाहते है तो विनियमों के लिए गाइड उपलब्ध है (इस लीफलेट के अन्त में आर्डर फार्म देखिए). इसमें विनियमों का सम्पूर्ण पाठ और व्याख्या पर टिप्पणियाँ भी है. इसमें रिपोर्टयोग्य रोगों और खतरनाक घटनाओं की सूची भी दी गई है.

रेलवे, ट्रामवे आदि के बारे में रिडोर की अनुमेयता के बारे में अलग दिशानिर्देश भी उपलब्ध है (इस लीफलेट के अंत में आर्डर फार्म देखिए).

बड़े आघातों की परिभाषा, खतरनाक घटनाएँ और रोग

रिपोर्टयोग्य बडे आघात निम्नानुसार हैं :

☏ अंगुलियों, अंगूठे या पैर के पंजे के अलावा अन्य अस्थिभंग;

☏ कोई अंग कटना;

☏ कंधा, कूल्हा, घुटना या रीढ का उतरना

☏ नजर खराब होना (अस्थायी या स्थायी)

☏ रसायनों या गर्म धातुओं से आंखों का जलना या आंखों को भेदने वाला कोई आघात ;

☏ बिजली के झटके से घायल होना या बिजली से चलने के कारण अचेत होना या जिसमें होश में लाने की जरुरत पडे या 24 घन्टे से अधिक समय अस्पताल में भर्ती रहना पडे.

☏ कोई और आघात: जिससे हाइपोथर्मिया हो जाए, गर्मी - प्रेरित बीमारी या अचेतनता हो; या होश में लाना पडे; या 24 घंटे से अधिक समय तक अस्पताल में भर्ती रहना पडे

☏ श्वासावरोध या नुकसानदायक पदार्थो या जैव अभिकर्नकों के सम्पर्क से प्रभावित होने से बेहोशी

☏ तीव्र रोग जिसमें डाक्टरी इलाज जरुरी हो, या श्वास, निगलने अथवा त्वचा के माध्यम से शरीर में किसी पदार्थ के पहुँचने से बेहोशी.

☏ तीव्र रोग जिसमें डाक्टरी इलाज जरुरी हो, साथ ही जिसमें यह मानने के पर्याप्त कारण हो कि यह स्थिति किसी जैव-अभिकर्मक य इसके विषैले तत्व या दूषित साम्रगी के परिणाम स्वरुप है.

<u>रिपोर्टयोग्य खतरनाक घटनाएँ</u>

(इस सूची में प्रत्येक खतरनाक घटना का सारांश दिया गया है देखिए पृष्ठ2)

1. गिरना, पलट जाना या लिफ्ट और लिफ्टिंग उपकरण के भारवाही हिस्सों का विफल होना;
2. किसी भी बन्द आधान या इससे जुडे पाइपों का फटना, गिरना या विस्फोट;
3. माल वाहक के किसी भी भारवाही भाग की विफलता;
4. संयंत्र और मशीनरी जो शिरोपरि विद्युत (overhead power)लाइन के सम्पर्क में आ रहे हो ;
5. बिजली के शार्ट सर्किट या ओवरलोड के कारण आग या विस्फोट होना;
6. कोई अप्रत्याशित विस्फोट, मिसफायर, या अभिप्रेत रुप से धराशायी करने के लिए तोडफोड का विफल होना, सामग्री का साइट की सीमा से बाहर गिरना, किसी विस्फोट के कारण आघात ;
7. किसी जैव अभिकर्मक का दुर्घटनावश रिसाव जो गंभीर मानवीय रोग पैदा करे;
8. औद्योगिक रेडियोग्रफी (Iindustrial radiography)की या पुन: शक्तिमान (de-energise) करने के लिए किरणों से उपचार करने वाले उपकरण (irradiation equipment)की या अभिप्रेत सम्पर्क अवधि के बार सुरक्षित स्थिति में लौटने में विफलता;
9. प्रयोग के दौरान या प्रयोग से तत्काल पहले परीक्षण के दौरान श्वसन उपकरण का ठीक काम न करना ;
10. गोताखोरी उपकरण (diving equipment) की विफलता या इससे खतरा पैदा होना, किसी गोताखोर का फंसना, गोताखोर के समीप विस्फोट, या अनियंत्रित आरोहण ;
11. पांच मीटर से अधिक ऊँची पाड का पूरी तरह या आंशिक रुप से गिरना, या पानी के समीप पाड लगाना जिसमें गिरने के बाद डूबने का भी जोखिम रहता है.
12. किसी भी वाहन के साथ ट्रेन की अप्रत्याशित टक्कर .
13. किसी भी कूप (जलकूप के अलावा) के समीप खतरनाक घटना.
14. किसी पाइपलाइन पर खतरनाक घटना.
15. भारवाहक फेयरग्रउन्ड उपकरण (loadbearing fairground equipment) की विफलता या पटरी से उतरना या कारो या ट्रेनो की अप्रत्याशित टक्कर.

16. खतरनाक पदार्थ ले जा रहे रोड-टैंकर का पलटना टैंकर को गंभीर नुकसान हो जाए, आग पकड ले या उसमें भरा पदार्थ बिखर जाए.

17. सडक मार्ग से ले जाया जा रहा खतरनाक पदार्थ आग पकड ले या बिखर जाए.

यदि ब्रिटेन के तट से बाहर हुए हैं तो नहीं, अन्यथा निम्नलिखित खतरनाक घटनाएँ रिपोर्टयोग्य हैं :

18. निर्माणधीन, परिवर्तनाधीन, या तोडी जा रही किसी संरचना या भवन का अप्रतयाशित रुप से गिरना, जिसमें पाँच टन से अधिक मलबा गिरे, कार्य स्थल पर कोई दीवार या फर्श, कोई भी कृत्रिम निर्माण.

19. विस्फोट या आग जिसके कारण सामान्य काम 24 घंटे से अधिक तक बन्द पड जाए.

20. किसी भवन में निम्नलिखित का अचानक, अनियंत्रित रुप से बिखरना:

* किसी आग पकड लेने वाले पदार्थ का 100 किलोग्राम या अधिक मात्रा में

* किसी आग पकडने वाले पदार्थ का क्वथनांक से अर्धिक ताप पर 10 किलोग्राम या अधिक मात्रा में बिखरना .

* किसी आग पकडने वाली गैस का 10 किलोग्राम या अधिक मात्रा में निकलना या

* यदि खुली हवा में बिखरे हों तो उक्त सभी पदार्थ 500 किलोग्राम से अधिक निकलना

21. स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाने वाले किसी भी पदार्थ का दुर्घटनावश निकल जाना.

नोट: *खतरनाक घटनाओ के अतिरिक्त वर्ग - खानो, खदानो और वहाॅ प्रयुक्त परिवहन व्यवस्था (रेलवे आदि) और देश के तट से बाहर के कार्यस्थलो पर लागू होते है.*

<u>रिपोर्टयोग्य रोग मे निम्नलिखित शामिल है:</u>

- कुछ विषाक्तताए (poisonings);
- त्वचा रोग जैसे व्यवसायगत (occupational dermatitis), त्वचा कैसर, क्रोम अल्सर, तैल पुटक/मुँहासे जैसे कुछ चर्मरोग;
- फेफड़ों का रोग जैसे व्यवसायगत दमा (occupational asthma), फार्मर्स लंग (farmers lung), फुफ्फुस धूलिमयता (pneumoconiosis), एस्बेस्टोसिस (asbestosis), और (mesothelioma);
- जीवाणु जन्य रोग जैसे (leptospirosis), हेपेटाइटेस (hepatitis), क्षयरोग (tuberculosis), एन्थ्रेक्स (anthrax), लीजेनेलोसिस (legionellosis)और टिटनेस (tetanus)जैसे संक्रमण;
- अन्य स्थितियाँ : जैसे व्यवसायगत कैंसर, कुछ पेशी-अस्थि विकार (musko-skeletal disorders), संपीडन विकार (decompression illness)और हाथ-बाँह कम्पन के लक्षण (hand-arm vibration syndrome).

रिपोर्टयोग्य रोगों की पूरी सूची, और जिन क्रियाकलापों से इनका सम्बनध है, को इस विनियम की विस्तृत गाइड में और रिपोर्ट फार्म के पैड में देखा जा सकता है, या जानकारी के लिए बस एचएसई इनफोलाइन को फोन करें.

एचएसई के मुफ्त और कीमत सहित प्रकाशनों को डाक से प्राप्त करने के लिए लिखिए : HSE Books, PO Box 1999, Sudbury, Suffolk CO10 2WA. फोन : 01787 881165 फैक्स :01787 313995 वेबसाइट: www.hsebooks.co.uk

(एचएसई के समूल्य प्रकाशन पुस्तक विक्रेताओं के पास भी उपलब्ध हैं और मुफ्त लीफलेट को एचएसई की वेबसाइट: www.hse.gov.uk से डाउनलोड किया जा सकता है)

स्वास्थ्य और सुरक्षा के बारे में जानकारी के लिए फोन कीजिए एचएससी की इन्फोलाइन फोन : 08701 545500 फैक्स: 02920 859260 ईमेल: hseinformationservices@natbrit.com या लिखें : HSE Information Services, Caerphilly Business Park, Caerphilly CF83 3GG.

इस लीफलेट में अच्छी परिपाटी पर टिप्पणियाँ दी गई हैं, ये अनिवार्य तो नहीं हैं लेकिन आपको क्या करना है इस पर विचार करते समय ये काफी सहायक हो सकती हैं.

अच्छे व्यवहार के लिए मार्गदर्शन की टिप्पणियों को प्रमुख पाठ से अलग बॉक्स में दिया गया है.

© *क्राउन कॉपीराइट*

विज्ञापन, परांकन या वाणिज्यिक प्रयोजनों के अलावा अन्य उपयोगों के लिए इस प्रकाशन का पुनमुद्रण करने की स्वतन्त्रता है. प्रथम प्रकाशन 4/99. स्रोत के रूप में कृपया एचएसई का उल्लेख कीजिए.

एचएसई 31(rev1) पुनमुद्रित 10/03 C2000

हैल्थ एन्ड सेफ्टी एक्जीक्यूटिव द्वारा मुद्रित और प्रकाशित

यह लीफलेट 15 की पैकिंग में एचएसई बुक्स से खरीदी जा सकती है ISBN =0 7176 2760 8. एचएसई बुक्स से एक प्रति मुफ्त भी ली जा सकती है.

कृपया मेरे पास भिजवाएँ

ISBN	शीर्षक	एक प्रति की कीमत	मात्रा	कुल कीमत
0 7176 1234 5	*गाइड टू दि रेग्यूलेशन्स 1996*	7.95 पौंड		
0 7176 1078 0	*F2508 और F2508A फार्म का पैड एक साथ*	4.95पौंड+वीएटी		
0 7176 2441 2	*रिड्डोर एक्सप्लेन्ड*	5.00पौंड		
0 7176 1022 5	*रेलवे, ट्रामवे, ट्राली वाहन प्रणाली और अन्य नियंत्रित परिवहन प्रणालियों के बारे में रिड्डोर पर दिशानिदेश*	11.50पौंड		
			कुल	

** 1-9 पैड 4.95 पौंड+वीएटी, 10 पैड और अधिक के लिए प्रति पैड 4.95 पौंड+वीएटी*
*** अधिक खरीदने पर रियायत - 1 पैक प्रत्येक 5-00 पौंड, 2-4 पैक प्रत्येक 3.00 पौंड, 10-49 पैक लेने पर प्रति पैक 2.00 पौंड, 50 से अधिक पैक लेने पर प्रति पैक 1.50 पौंड.*

आर्डर देने वाले

नाम आद्याक्षर उपनाम
पदनाम
कम्पनी का नाम

डिलीवरी किस पते पर दी जाए

पोस्ट कोड टेलिफोन

ईमेल चेतावनी सेवा

हम यह सेवा ईमेल के माध्यम से भी प्रदान करते हैं. यदि आप इस माध्यम से जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो कृपया अपना ईमेल पता दीजिए.
मेरा ईमेल पता है:

भुगतान के ब्यौरे

मैं एचएसई बुक्स (HSE Books)के पक्ष में भुगतान के लिए -----पौंड की राशि का चेक/पीओ* संलग्न कर रहा हूँ.
या कृपया मेरे मास्टर कार्ड/वीजा/अमेरिकन एक्सप्रेस* में ------पौंड की राशि डेबिट कर दीजिए.

कार्ड नं. समाप्ति की तारीख

कार्डधारक का नाम हस्ताक्षर
या कृपया मेरे एचएसई बुक एकाउन्ट नं. मे चार्ज कर दीजिए,

मेरी सन्दर्भ संख्या है
** जो लागू न हो काट दीजिए.*
आपके द्वारा दी गई जानकारी का प्रयोग हम सीधे विपणन प्रयोजनों के लिए करेंगे ताकि अपको नए और संशोधित प्रकाशनों की जानकारी दी जा सके.यदि आप नहीं चाहते कि आपका नाम इस प्रयोजन के लिए प्रयुक्त हो तो कृपया यहाँ निशान लगाइये.

पूरा भरकर यह फार्म लौटाइए :
HSE Books, PO Box 1999, Sudbury, Suffolk CO10 2WA
फोन: 01787 881165 फैक्स: 01787 313995
वेबसाइट: www.hsebooks.co.uk
एचएसई के प्रकाशन बड़े पुस्तक विक्रेताओं से भी खरीदे जा सकते हैं.
एचएसई वेबसाइट: www.hse.gov.uk